रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2012/भाद्र 6, 1934

No. 427] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2012/BHADRA 6, 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 654(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के खंड 27घ के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एतद्द्वारा भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के निदेशकों को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुसूची में उल्लिखित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायित करता है ।

2. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायन पर वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायन नियमावली 1978 के नियम 13 में उल्लिखित सीमाएं लागू होंगी ।

3. प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायन पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली पर लागू मौजूदा नियमों, विनियमों में उल्लिखित सीमाएं भी लागू होंगी ।

4. अनुसूची में उल्लिखित प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग उक्त संस्थानों के निदेशकों द्वारा छ: माह की अवधि अथवा संस्थान या शासी निकाय की प्रथम बैठक होने तक, जो भी पहले हो, किया जाएगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	शक्तियों की प्रकृति	निदेशक
1.	स्टोर मूल्य में खामियां तथा मूल्य ह्रास	प्रत्येक मामले में 2000 रुपये तक
2.	(i) आकस्मिक व्यय अथवा (ii) स्टोर या लेखन सामग्री की खरीद और फार्मों के मुद्रण पर होने वाला व्यय (iii) सुरक्षा व सेवाओं की आऊटसोर्सिंग पर होने वाला व्यय	मंजूर बजट में संपूर्ण शक्ति
3.	संस्थान में उपकरणों के अभिप्रापण पर होने वाला व्यय	एक करोड़ रुपये तक की सुपूर्ण शक्ति
4.	भवन का रखरखाव व छिटपुट कार्य (क) छोटे मूल कार्य व विशेष मरम्मत (ख) साधारण मरम्मत (ग) वार्षिक मरम्मत	प्रत्येक मामले में 20,000 रुपये अधिकतम एक लाख रुपये वार्षिक छोटी मरम्मत (वार्षिक मरम्मत को छोड़कर) के लिए बजटीय प्रावधानों के अनुरूप संपूर्ण शक्ति बजटीय प्रावधानों के अनुरूप संपूर्ण शक्ति
5.	वसूली योग्य अग्रिम राशियों को मंजूर करने की शक्ति	स्वयं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में संपूर्ण शक्ति
6.	अंशदान/सामान्य भविष्य निधि में से अग्रिम/अंतिम निकासी स्वीकृत करने की शक्ति	स्वयं को छोड़कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में संपूर्ण शक्ति
7.	कर्मचारियों के वेतन अगले महीने के पहले चार दिवस सरकारी अवकाश है तो संस्थान के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को अंतिम कार्य दिवस को भुगतान करने का निर्देश देने की शक्ति	संपूर्ण शक्ति
8.	संस्थान के अवितरित वेतन और भत्तों को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखने का आदेश देने की शक्ति	संपूर्ण शक्ति

9.	निकटतम या सबसे सस्ते मार्ग से इत्तर अन्य मार्ग द्वारा यात्रा भत्ता की अनुमति देना	संपूर्ण शक्तियां बशर्ते कि मार्ग का चयन संस्थान के हित में हो
10.	किसी अधिकारी के साथ ट्रेन,जिसमें द्वितीय श्रेणी का प्रावधान हो में यात्रा करते समय समूह घ कर्मचारियों को आगामी उच्चतर श्रेणी का किराया लेने की अनुमति देना	संपूर्ण शक्ति
11.	किसी खास अनुपस्थिति को देश के भीतर ड्यूटी पर अनुपस्थिति मानने का निर्णय लेना	शैक्षिक प्रयोजन के लिए संपूर्ण शक्तियां या अन्य मामलों में एक महीने तक
12.	किसी सार्वजनिक या किराए के वाहन में यात्रा करने वाले समूह ग तथा घ के कर्मचारियों द्वारा दैनिक भत्ते को यात्रा भत्ते में परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध लगाना	संपूर्ण शक्ति
13.	स्वयं तथा अन्य कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करना	संपूर्ण शक्ति
14.	प्रावधानों में छूट देना (क) सार्वजनिक अवकाश को छुट्टियों के साथ के साथ जोड़ने के बारे में अनुपूरक नियम 209 और अनुपूरक नियम 211 में छूट प्रदान करने का अधिकार देना।	संपूर्ण शक्ति
15.	आकस्मिक अवकाश प्रदान करना	संपूर्ण शक्ति
(क)	अवकाश स्वीकृति	समूह ख, ग और घ के लिए संपूर्ण शक्तियाँ और समूह क के लिए अधिकतम 4 सप्ताह
(ख)	प्रसव अवकाश	संपूर्ण शक्ति
(ग)	विशेष अक्षमता अवकाश	संपूर्ण शक्ति
16.	यह निर्देश देना कि अवकाश पर गए अधिकारियों को आवास का कब्जा धारक माना जायेगा।	मूल प्रतिनियुक्ति अवधि अथवा अवकाश स्वीकृति अवधि के लिए संपूर्ण शक्तियाँ।
17.	मकान आबंटन करना	संपूर्ण शक्ति

18.	नियुक्तियाँ करने की शक्ति	
(क)	तदर्थ/अस्थायी	समूह ख,ग और घ पदों के लिए संपूर्ण शक्तियाँ, नर्सिंग कालेजों में व्याख्याता तथा सहायक प्रोफेसरों के लिए अधिकतम एक वर्ष
(ख)	स्थायी	समूह ग और घ पद
(ग)	संविदा	प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों के एवज में संविदा आधार पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ संकाय सदस्य
19.	समूह क और ख अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर स्थायी करने की शक्ति	निदेशक के मामले को छोड़कर संपूर्ण शक्तियाँ
20.	समूह ख अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकृत करने की शक्ति	संपूर्ण शक्ति
21.	समूह क के कर्मचारियों के त्यागपत्र स्वीकृत करने की शक्ति	प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के मामले को छोड़कर समूह क के सभी अधिकारियों के बारे में संपूर्ण शक्तियां
22.	संस्थान के अधिकारियों को बैठकों/सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिसंवादों में भाग लेने जैसे अल्पावधिक कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की शक्ति	निदेशक के मामले को छोड़कर बैठक इत्यादि के लिए संबंधित संकाय सदस्य के प्रायोजकों से उचित निमंत्रण प्राप्त करने पर और 30 दिनों की अवधि तक स्वीकार्य और देय छुट्टी की प्रकृति के आधार पर संपूर्ण शक्ति।
23	**संकाय के सदस्यों द्वारा विदेशों में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों / संगोष्ठियों / सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए सेवारत रहते हुए अनुपस्थितियों को समझने की शक्तियां**	**यात्रा सहित अधिकतम 15 दिनों तक की पूर्ण शक्तियां**
24	**सामान्य नियमों के तहत संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए शक्ति**	**पूर्ण शक्तियां**
25	**संस्थान के कार्यों के संबंध में विदेश में जाने के लिए संस्थान के अधिकारियों को अनुमति देने और सेवारत रहते हुए अनुपस्थिति के निपटान की शक्तियां**	**30 दिनों तक की पूर्ण शक्तियां बशर्ते कि कार्यरत माने जा रहे संस्थान के कार्य से संबंधित अवधि के अलावा कोई वित्तीय जटिलताएं न हों**

26	अनुसंधान अनुदान स्वीकार करने की शक्तियां यदि ये 3 साल की अवधि से अधिक की नहीं हों।	भारत सरकार की सामान्य नीतियों के अनुरूप पूर्ण शक्तियां
27	केन्द्रीय / राज्य सरकार के डेपूटेशनिस्टों, जहां शर्तें सामान्य प्रकृति की होती हैं, के संबंध में विदेशी सेवा शर्तों के नियम और शर्तों को स्वीकार करने की शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
28	एसआर12 के प्रावधानों में छूट देने की शक्तियां जहां प्रास किए जाने वाले निर्वाह भत्ते दैनिक भत्ते की प्रकृति के हैं और जिसमें कोई मानदेय शामिल नहीं है।	पूर्ण शक्तियां
29	एक संस्थान कर्मचारी को मिनिस्टीरियल कर्मी निर्धारित करने का निर्णय	पूर्ण शक्तियां
30	संस्थान के किसी कर्मचारी को एक पद से अन्य पद पर स्थानांतरित करना	समूह ग एवं घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां
31	एफआर (9) (6) (ख) के तहत कार्यरत माने जाने वाले संस्थान के किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ते का निर्धारण।	समूह ख ग एवं घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां
32	वेतन वृद्धि के लिए असाधारण छुट्टी की गणना	समूह ख ग एवं घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां
33	मानदेय के लिए मंजूरी देना और स्वीकृति अनुमति देना।	कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए मूलभूत नियमावली के नियम 46(ख) के प्रावधानों और समय समय पर इसके अधीन जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक मामले में अधिकतम 5000/- रूपए तक की पूर्ण शक्तियां। आवर्ती मानदेयों के मामले में यह सीमा एक वर्ष में किसी व्यक्ति को जारी कुल आवर्ती भुगतानों पर लागू होती है। श्रेणी क और ख कर्मचारियों के मामले में, इस मामले की सूचना शासी निकाय को दी जाएगी।

322556/12-2

34	अस्थाई पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को एक या अधिक पद पर स्थानापन्न करने के लिए नियुक्त करने की शक्तियां और पूरक पद के वेतन और लिए जाने वाले प्रतिपूरक भत्ते की राशि को निर्धारित करना।	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्तरों पर समान रूप से लागू नियमों पर निर्भर करते हुए पूर्ण शक्तियां
35	अंश-कालिक कर्मचारियों को भुगतान किए गए शुल्क के ग्रेड को घोषित करना। (यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए)	पूर्ण शक्तियां
36	दो या दो से अधिक सबसे छोटे और सस्तें मार्गों को निर्धारित करना	पूर्ण शक्तियां
37	सबसे छोटे और सस्ते मार्ग के अलावा एक मार्ग द्वारा मील भत्ते की अनुमति देना।	पूर्ण शक्तियां बशर्ते कि रूट का चयन संस्थान के हित में हो
38	एक स्टेशन यात्रा प्रारंभ या उसका अंत करने के लिए निर्धारित करना।	पूर्ण शक्तियां
39	छुट्टी से लौटने से पहले आवश्यक स्वस्थता प्रमाणपत्र के लिए शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
40	ओवर-स्टे को कवर करने के लिए छुट्टी में विस्तार	पूर्ण शक्तियां बशर्ते कि छुट्टी पर होने वाले कर्मचारी वापसी में संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे
41	कार्य को करने की स्वीकृति जिसके लिए शुल्क का आग्रह किया गया है और शुल्क की स्वीकार्यता के लिए शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
42	नियमों की छूट में अधिकारी द्वारा विमान द्वारा यात्रा	तत्काल स्थिति और आवश्यकता की स्थिति में पूर्ण शक्तियां
43	यह घोषित करना कि संस्थान के एक कर्मचारी के वेतन में सड़क द्वारा की जाने वाली सभी यात्राओं की प्रतिपूर्ति शामिल है	समूह ख, ग एवं घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां
44	किसी दौरे पर 10 दिनों तक रूकने की सीमा संबंधी नियम से छूट की अनुमति देने की शक्तियां।	30 दिनों की समय सीमा तक पूर्ण शक्तियां
45	संस्थान के किसी कर्मचारी को संस्थान के खर्चे पर यात्रा का साधन प्रदान किया जाता है, परन्तु उसके उपयोग या इस्तेमाल के लिए पूरी कीमत के भुगतान किए जाने, की स्थिति में किराए या प्रभारों की राशि निर्धारित करना	पूर्ण शक्तियां
46	आयोग जांच में भाग लेने वाले गैर-सरकारी कर्मी को यात्रा भत्ते की अनुमति देना और उनका ग्रेड निर्धारित करना।	पूर्ण शक्तियां

47	यह घोषित करना कि नियंत्राणाधिकारी कौन होगा और उसके दिशानिर्देश के लिए नियम बनाना।	पूर्ण शक्तियां, बशर्ते कि संस्थान का कोई कर्मचारी स्वयं का नियंत्रक अधिकारी न हो
48	विशेष अशक्तता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश स्वीकृत करना।	पूर्ण शक्तियां
49	किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा यह सूचित करने कि कार्य पर वापस आने के लिए कर्मचारी के स्वस्थ होने का कोई युक्तिपरक लक्षण नहीं है, छुट्टी की अनुमति देना।	पूर्ण शक्तियां
50	संदेह की स्थिति में यह निर्णय लेना कि क्या एक विशेष कर्मचारी विभाग के किसी रिक्त पद पर कार्य कर रहा है	पूर्ण शक्तियां
51	प्रसव छुट्टी अनुदान	पूर्ण शक्तियां
52	यात्रियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मार्ग के अन्यत्र मार्ग के द्वारा ज्वाइनिंग समय की गणना की अनुमति देना।	पूर्ण शक्तियां
53	अधिकतम 30 दिनों की सीमा तक ज्वाइनिंग समय को बढ़ाना	पूर्ण शक्तियां
54	संस्थान के किसी कर्मचारी को भारत के किसी भी हिस्से में कार्य पर जाने के लिए प्राधिकृत करना।	समूह क, ख, ग एवं घ कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियां
55	निदेशक से अन्यत्र कर्मचारियों के संबंध में स्थाई अग्रिमों की स्वीकृत करने की शक्तियां।	पूर्ण शक्तियां
56	आकस्मिक व्यय के मामले में अधीनस्थ प्राधिकरणों को अनुदेश जारी करने की शक्तियां।	पूर्ण शक्तियां
57	अपवाद स्थितियों में संस्थान के कर्मचारियों को स्वीकृत अग्रिमों के पुनःभुगतान की शर्तों में फेरबदल करने की शक्तियां।	ऐसी स्थितियों में जहां वह अग्रिम अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो, में पूर्ण शक्तियां, बशर्ते कि अग्रिम पर लगने वाले ब्याज के मामले में पुनःभुगतान की अवधि का विस्तान न हो।
58	वाहन की खरीद के लिए अग्रिम स्वीकृत करने की शक्तियां।	जीएफआर के नियम 199 से 218 में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुरूप स्थाई पदों पर

		कार्यरत संस्थान के कर्मचारियों की स्थिति में पूर्ण शक्तियां
59	दौरे स्थानांतरण आदि पर होने वाले संस्थान के कर्मचारियों को आग्रिम मंजूरी के लिए शक्तियां	जीएफआर के नियम 231 से 234 में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुरूप स्थाई या अस्थाई पदों पर कार्यरत संस्थान के कर्मचारियों की स्थिति में पूर्ण शक्तियां
60	ऐसे कानूनी मामले, जिसमें संस्थान एक पार्टी है, के लिए अग्रिम स्वीकृत करने की शक्तियां।	पूर्ण शक्तियां
61	मामला, भंडारण आदि की कस्टडी में सौंपे गए किसी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सुरक्षा बांड के प्रारूप को निर्धारित करने की शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
62	महत्वपूर्ण त्यौहार की पूर्व संध्या पर वेतन के अग्रिमों को स्वीकृत करने की शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
63	प्रतिनियुक्ति पर श्रेणी क के अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां	इस उद्देश्य के लिए स्थापित चयन समिति की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियां
64	प्रतिनियुक्ति पर श्रेणी ख के अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां	इस उद्देश्य के लिए स्थापित चयन समिति की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियां

[फा. सं. जेड-28016/37/2012-एसएसएच]

डॉ. राकेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2012

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27D of the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Ordinance, 2012, the Ministry of Health and Family Welfare, with the previous approval of the competent authority, hereby delegates the administrative and the financial powers as mentioned in the Schedule to the Directors of All India Institute of Medical Sciences set up at Bhubaneswar, Bhopal, Jodhpur, Patna, Raipur and Rishikesh.

2. The delegation of financial powers shall be subject to the limitations contained in Rule 13 of Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

3. The delegation of administrative and financial powers shall further be subject to the limitations contained in existing rules and regulations as applicable to All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

4. The administrative and financial powers mentioned in the Schedule shall be exercisable by the Directors of the said Institutes for a period of six months or first meeting of the Institute or Governing Body, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl.no.	Nature of Powers	Director
1	Deficiencies and depreciations in the value of stores.	Up to Rs.2,000/- in each case.
2	To incur(i) Contingent expenditure (ii) or expenditure on the purchase of stores and stationery and printing of forms (iii) Expenditure on outsourcing Security & Services	Full Power within the sanctioned budget.
3	To incur expenditure on procurement of Institute equipment.	Full Power up to Rupees one Crore.
4	Maintenance of Building and Petty works (a) Minor original works and special repairs. (b) Ordinary repairs. (c) Annual repairs.	Rs. 20,000/in each case subject to maximum of one lakh per year. Full Power for minor repairs subject to budgetary provision (other than annual repairs) Full power subject to budget provision
5	Power to sanction recoverable advances	Full powers in respect of all Officers and employees except himself.
6.	Power to sanction advances/ final withdrawal out of the contributory/ general Provident Fund.	Full powers in respect of all Officers and employees except himself
7	Powers to direct the payment on the last working day and allowances of employees of the Institute where the first four days of the following month are public holidays	Full powers
8	Power to order the retention of undisbursed pay and allowances of establishment for any period not exceeding three years	Full powers
9	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or the cheapest	Full Powers provided selection of the route is in Institute's Interest.
10	To permit Group 'D' employees to draw next higher class Railways fare when accompanying an officer on train which provides no II class.	Full Powers
11	To decides whether a particular absence is absence on duty with in the country	Full Powers for academic purposes and for one month in other cases.
12	To impose restriction the exchange of daily	Full Powers

3225 GI/12-3

	allowance for mileage allowance by Group 'C' and Group 'D' employees travelling in a public or hired conveyance.	
13	To countersign his own traveling allowance bills and those of other employees	Full Powers
14	To waive provision (a) To supplementary Rule 209 and to authorise departures from supplementary rule 211 regarding combination Holidays with leave	Full Powers
15	A Grant of Casual Leave	Full Powers
(a)	Grant of Leave	Full Powers for Group 'B' C, D and not more than four weeks for Group A.
(b)	Maternity Leave	Full Powers
(c)	Special disability Leave	Full Powers
16	To direct that an Officer on leave shall be considered to be in occupation of a residence.	Full Powers for the period of original deputation or the period of leave sanction.
17	To allot residence	Full Powers.
18	Power to make appointment;	
(a)	Ad-hoc/ temporary	Full Powers for Group B, C & D posts, Lecturers in Nursing Colleges and Asst. Profs. Not exceeding a period of one year.
(b)	Permanent	Group C & D posts
(c)	Contract	Retired Senior faculty members against vacant posts of Professor & Associate Professor on contract basis.
19	Power to confirm Group A&B Officers after successful completion of the period of probation.	Full Powers except in the case the Director.
20	Powers to accept resignation of Group B employees.	Full Powers
21	Powers to accept resignation of Group A employees.	Full Powers in respect of all Group A Officers except in case of Professors & Assoc. Prof.
22	Power to permit the Officers of the Institute while going abroad for attending meeting, conferences, seminars workshops, symposia etc of for short assignments	Full Powers except in the case of Director on the basis of leave of the kind due and admissible up to the period of 30 days

		and that the faculty members concerned receives proper invitations from the sponsors of the meeting etc.
23	Power for treating the absences, as on duty for participation in the international scientific conferences/ symposia/seminars etc. abroad by the members of the faculty	Full Powers up to a maximum of 15 days inclusive of travel.
24.	Power for fixation of pay of Institute of employees under normal rules	Full Powers
25	Powers to permit the Officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treatment of absences as on duty	Full powers up to 30days provided there are no financial implications other than the period connection with the work of the Institute being treated as on duty
26	Powers to accept Research grant if these are for duration not exceeding 3 years	Full Powers subject to the general policy of Government of India
27	Powers to accept the terms and conditions of foreign service terms in respects of the deputationists of Central/ state Govt. where the terms are of usual nature	Full Powers
28	Powers to relax the provision of SR12 where the subsistence allowances to be received is in the nature of daily allowance and no honorarium is involved.	Full Powers
29	To decide an Institute employees to be a Ministerial servant	Full Powers
30	To transfer an Institute employee from one post or another	Full powers in the case of Group C&D employees
31	Fixation on pay and allowances of an Institute employee treated as on duty under FR(9) (6) (b)	Full powers in the case of Group B C&D employees
32	Counting extra ordinary leave for increments	Full powers in the case of Group B, C & D employees
33	To sanction grant of and to permit acceptance of honorarium	Full powers up to a maximum of Rs.5000/- in each case in accordance with the provisions of the rule 46(b) of Fundamental Rules and Government of India's orders issued there

3225 GI/12-4

		under from time to time for all categories of employees. In the case of recurring honorarium, this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a year. In the case of Group A&B employees the matter shall be reported to the Governing Body.
34	Power to appoint an employee to hold temporarily to officiate in more than one post and to fix the pay of the subsidiary post the amount of compensatory allowance to be drawn.	Full powers subject to rules applicable to similar to classes of Central Govt. Employees.
35	To declare the grade of fee paid to part time employee(for purpose of T.A)	Full powers
36.	To decide the shortest or cheapest of two or more route	Full powers
37	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or cheapest	Full powers provided selection of the route is in Institute's interest
38	To decide the point of commencement or end of journey in a station	Full powers
39	Powers to require medical Certificate of fitness before return from leave	Full powers
40	Extension of leave to cover over-stay	Full powers provided that the employees on leave will on return be under the administrative control of the Institute
41	Power to sanction the undertaking to work for which a fee is offered and acceptance of a fee	Full powers
42	Travel by Air by Officer in relaxation of rules	Full powers in case of urgency and necessity
43	To declare that pay of an Institute employees includes compensation for all journey by road	Full powers in the case of Group B, C&D employees
44	Power to grant exemption from the rule limiting a halt on tour to ten days	Full powers up to a limit of 30 days
45	Power to fix amount of hire or charges where an Institute employee is provided with means of locomotion at the expense of the Institute etc. but pay all the cost of its use or propulsion	Full powers
46	To grant travelling allowances to non-	Full powers

.	official attending commission enquiry etc. and to fix their grade.	
47	To declare who shall be controlling officer and to make rules for his guidance	Full powers, provided an Institute employee is not declared his own controlling officer.
48	To grant leave other than special disability leave	Full powers
49	To grant leave when a medical board has reported that there is no reasonable prospect of the employee being fit to return to duty.	Full powers
50	To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacancy in Department	Full powers
51	To grant maternity leave	Full powers
52	To permit calculation of joining time by route other than that which travellers ordinarily use	Full powers
53	To extend joining time within a maximum of 30 days	Full powers
54	Authorising an Institute employee to proceed on duty to any part of India	Full powers in case of Group A,B,C,& D
55	Power of sanction permanent advances in respect of employees other than Director	Full powers
56	Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent of expenditure	Full powers
57	Powers to vary the terms of repaying of advances granted to Institute employees in exceptional cases	Full powers in cases in which he is competent to sanction the grant of advances provided that in the case of interest bearing advances, the period of repayment not extended.
58	Powers to sanction advances for purchase of conveyance..	Full powers in the case of Institute employees holding permanent posts, subject to the limits and conditions laid down in Rules 199 to 218 of GFR.
59.	Power to sanction advances to Institute employees on tour transfer, etc.	Full powers in case of Institute employees holding permanent or temporary posts subject to the limits and conditions laid down in

		Rule 231 to 234 of GFR.
60.	Power to sanction advance for law suit to which Institute is a party.	Full powers.
61.	Power to prescribe the form of security bond to be executed by a subordinate authority entrusted with the custody of case, stores etc.	Full powers.
62.	Power to sanction advances of pay on the eve of important festivals.	Full powers.
63	Powers to appoint Group A officers on deputation.	Full powers on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose.
64..	Powers to appoint Group B officers on deputation.	Full powers on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose.

[F. No. Z-28016/37/2012-SSH]

Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.